रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 487] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 27, 2004/ज्येष्ठ 6, 1926
No. 487] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 27, 2004/JYAISTHA 6, 1926

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2004

का.आ. 636(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ तिहत्तरवां संशोधन) नियम, 2004 है ।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,-

(1) प्रथम अनुसूची में,-

(क) "7. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी उपशीर्षकों के पश्चात, निम्नलिखित शीर्षक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
"7क. कंपनी कार्य मंत्रालय";

(ख) "8. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी उपशीर्षकों के पश्चात निम्नलिखित शीर्षक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"8क. संस्कृति मंत्रालय";

(ग) "9. रक्षा मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी उपशीर्षकों के पश्चात, निम्नलिखित शीर्षक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"9क. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय";

(घ) "10. विनिवेश मंत्रालय" शीर्षक को हटा दिया जाएगा ;

(ङ) "13. वित्त मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत उपशीर्षक "(iv) कंपनी कार्य विभाग" के स्थान पर निम्नलिखित उप-शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:

"(iv) विनिवेश विभाग";

(च) "20. श्रम मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:

"20. श्रम और रोजगार मंत्रालय"

(छ) "22. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय" शीर्षक के पश्चात निम्नलिखित शीर्षक जोड़े जाएंगे, अर्थात्:

"22क. अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
22ख. पंचायती राज मंत्रालय";

(ज) "38. पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी उपशीर्षकों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:

"38. पर्यटन मंत्रालय";

(झ) "40. शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी उपशीर्षकों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखे जाएंगे, अर्थात्:

"40. शहरी विकास मंत्रालय
40क. शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय";

(ञ) "50. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग" शीर्षक को हटा दिया जाएगा ।;

(2) द्वितीय अनुसूची में,-

(क) "संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी उप-शीर्षकों और प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

"कंपनी कार्य मंत्रालय

1. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) का प्रशासन ।

2. कंपनी (राष्ट्रीय निधियों में दान) अधिनियम, 1951 (1951 का 54) का प्रशासन ।

3. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) का प्रशासन ।

4. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ।

5. लेखा-वृत्ति {चार्टर्ड एकाउंटैंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38)}; लागत और संकर्म लेखावृत्ति {लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23)}; कंपनी सचिव वृत्ति {कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56)}।

6. कंपनियों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण ।

7. भागीदारी विधि के संबंध में विधान और भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अध्याय 7 के अधीन केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में कतिपय कृत्यों का निर्वहन (अधिनियम का प्रशासन राज्य सरकारों में निहित है) ।

8. उपर्युक्त मदों में से किसी के बारे में केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से संबंधित मामलों की बाबत केन्द्र का उत्तरदायित्व ।

9. केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण और कृत्यों के प्रयोग से संबंधित विधान ।

10. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ।

11. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2000 (2003 का 12) ।

12. गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय ।'';

(ख) ''उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय'' शीर्षक और तत्संबंधी उपशीर्षकों और प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

''संस्कृति मंत्रालय

1. पुस्तकालय विकास संबंधी नीतिगत मामले ।

2. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता; केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता; केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, नई दिल्ली; रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर; दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली; खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना; राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता; भारत कार्यालय पुस्तकालय, लंदन ।

3. राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपत्ति संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ ।

4. राष्ट्रीय पांडुलिपि परिरक्षण मिशन ।

5. भारत पुरातत्त्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली; पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय; ऐतिहासिक और पुरातत्त्वीय अवशेषों का उत्खनन और खोज ।

6. ऐतिहासिक और पुरातत्त्वीय अवशेषों के उत्खनन और खोज कार्य के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को अनुदान ।

7. सशस्त्र संघर्ष की दशा में सांस्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय ।

8. स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास ।

9. गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली; नेहरु स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली; जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक न्यास; मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता; भारतीय युद्ध स्मारक ।

10. ललित कलाओं, अभिनय कलाओं की अभिवृद्धि ।

11. साहित्य अकादमी; ललित कला अकादमी; संगीत नाटक अकादमी ।

12. राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली; भारतीय संग्रहालय, कोलकाता; सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद; इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद; राष्ट्रीय नव कला दीर्घा नई दिल्ली, मुंबई और बंगलौर; विक्टोरिया स्मारक हाल, कोलकाता; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल; राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता; रत्न और आभूषण संग्रहालय; संग्रहालयों का सामान्य विकास ।

13. राष्ट्रीय कला, संरक्षण और संग्रहालय-विज्ञान इतिहास संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली ।

14. भारतीय और विदेशी कला वस्तुओं का अर्जन ।

15. ग्रामीण क्षेत्रों में खुली नाट्यशालाएं और राज्यों की राजधानियों में नाट्यशालाएं ।

16. निर्धनावस्था वाले ऐसे लेखकों और कलाकारों अथवा उनके उत्तरजीवियों को, उनसे भिन्न जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की स्कीम के अधीन आने वाले प्रवर्गों से संबंधित है, वित्तीय सहायता; सांस्कृतिक संगठनों और संस्थाओं को अनुदान; इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में छात्रवृत्तियां और फैलोशिप, जिनमें विदेशी सरकारों और विदेशी अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां और फैलोशिप भी है; बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक काम्पलैक्स स्थापित करने के लिए अनुदान ।

17. इस विभाग में व्यवहृत विषयों से संबद्ध दान और पूर्त संस्थाएं, दान और धार्मिक विन्यास।

18. इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में छात्रवृत्तियां जिनके अंतर्गत विदेशी सरकारों और विदेशी अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी है ।

19. दुर्लभ हस्तलेखों का प्रकाशन ।

20. परंपरागत संस्कृति और लोक संस्कृति की सुरक्षा ।

21. भारतीय विदेशी सांस्कृतिक सोसाइटियों को अनुदान ।

22. विदेशों के साथ सांस्कृतिक करार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और मैत्री संधियां ।

23. विदेशों से दान में प्राप्त पुस्तकों का वितरण ।

24. विदेशों में सांस्कृतिक अताशियों की नियुक्ति ।

25. प्रायोजित और अप्रायोजित सांस्कृतिक शिष्टमंडलों, आदि द्वारा भारत का परिदर्शन ।

26. विदेश परिदर्शन के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित व्यक्ति (जिनके अंतर्गत सांस्कृतिक व्याख्याता भी हैं) ।

27. विदेशों को पुस्तकें भेंट करना ।

28. विदेशों में पुस्तकालयों की स्थापना ।

29. भारतीय वरेण्य ग्रंथों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद ।

30. शासकीय प्रकाशनों का विदेशी सरकारों और संस्थाओं के साथ विनिमय और ऐसे विनिमयों के लिए करार ।

31. विदेशों में भारतीय कला वस्तुओं का प्रदर्शन ।

32. पुरावशेषों का निर्यात ।

33. सांस्कृतिक संस्थाओं में विदेशी विद्यार्थियों का प्रवेश ।

34. सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अधीन कलाकारों, नर्तकों/नर्तकियों, संगीतज्ञों, आदि का विनिमय ।

35. विदेशों में भारत पर्व ।

36. गजेटियरों का पुनरीक्षण ।

37. महत्वपूर्ण व्यक्तियों की शताब्दियां और वार्षिकोत्सव और घटनाओं को मनाना ।

38. सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली ।

39. इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरियंटलिस्टस ।

40. भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता ।

41. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली; गजेटीयर्स; एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता ।

42. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ।

43. रवीन्द्र रंगशाला ।

44. आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र ।

45. राष्ट्रीय संस्कृति परिषद ।

46. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली ।

47. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली; राष्ट्रीय नाट्यगृह ।

48. राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि ।

49. गांधी शांति पुरस्कार ।

50. केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ; केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह; नव नालन्दा महाविद्यालय, नालन्दा ।

51. कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई ।

52. निम्नलिखित अधिनियमों का कार्यान्वयन और प्रवर्तन अर्थात्:-

(क) भारतीय निखात निधि अधिनियम, 1878 (1878 का 6);
(ख) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972(1972 का 52);
(ग) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24);
(घ) प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (1904 का 4) ;
(ङ) पुस्तक और समाचार पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954(1954 का 27);
(च) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867(1867 का 25) (जहां तक कि केन्द्रीय सरकार को पुस्तकें और सूची पत्र देने का संबंध है);
(छ) लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 (1993 का 69)।";

(ग) "रक्षा मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी उपशीर्षकों और प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

1. उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विकास संबंधी स्कीमों और परियोजनाओं, जिनके अंतर्गत विद्युत, सिंचाई, सड़क और संचार के क्षेत्र भी है, की योजना, कार्यान्वयन और मानीटर करने से संबंधित मामले ।

2. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सीमा-क्षेत्र विकास कार्यक्रम ।

3. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए गैर-व्यपगत निधि ।

4. नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ।

5. नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एन0ई0डी0एफ0आई0) ।

6. नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एन0ई0आर0ए0एम0ए0सी0) ।

7. दि सिक्किम माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड ।

8. उत्तर पूर्वी हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम (एन0ई0एच0एच0डी0सी0); शिलांग ।

9. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णत: अथवा अंशत: वित्त-पोषित सड़क संकर्म ।

10. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सड़क और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन की योजना ।";

(घ) "विनिवेश मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;

(ङ) "विदेश मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टि 40 को हटा दिया जाएगा ।

(च) "वित्त मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत उपशीर्षक "घ. कंपनी कार्य विभाग" और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

''विनिवेश विभाग

1. केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से केन्द्रीय सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित सभी मामले ।

2. विनिवेश के तौर-तरीकों, जिसके अंतर्गत पुनर्गठन भी है, के बारे में विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर विनिश्चय ।

3. विनिवेश संबंधी विनिश्चयों का कार्यान्वयन, जिसके अंतर्गत सलाहकारों की नियुक्ति, शेयरों का कीमत निर्धारण और विनिवेश के अन्य निबंधन और शर्तें भी है ।

4. विनिवेश आयोग ।

5. केवल सरकार की इक्विटी के विनिवेश के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम ।'';

(छ) ''श्रम मंत्रालय'' शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

''श्रम और रोजगार मंत्रालय'',

(ज) ''अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय'' शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-

''अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

1. प्रवासी भारतीयों के साथ संबंध, जिसमें अन्य विभागों को विनिर्दिष्टतया आबंटित प्रविष्टियाँ शामिल नहीं है ।

''पंचायती राज मंत्रालय

1. पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामले ।'';

(झ) ''ग्रामीण विकास मंत्रालय'' शीर्षक के अंतर्गत उपशीर्षक ''क. ग्रामीण विकास विभाग'' के अंतर्गत प्रविष्टि 1 को हटा दिया जाएगा ।''।

1673 GI/2004—2

(ञ) " पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी उपशीर्षकों और प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"पर्यटन मंत्रालय

1. पर्यटन का विकास और संवर्धन ।
2. पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ।
3. भारत पर्यटन विकास निगम और स्वायत्त संस्थान ।";

(ट) "शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी उपशीर्षकों और प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"शहरी विकास मंत्रालय

1. निम्नलिखित के सिवाय संघ की सम्पत्तियां, चाहे वे भूमि हो अथवा भवन :

   (क) वे जो रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के हों;

   (ख) ऐसे भवन अथवा भूमि, जिनके निर्माण अथवा अर्जन के लिए धनराशि सिविल निर्माण बजट से भिन्न किन्हीं अन्य साधनों से जुटाई गई हो; और

   (ग) ऐसी भूमि अथवा भवन, जिसका नियंत्रण, उनके निर्माण अथवा अर्जन के समय अथवा बाद में, स्थायी रूप से दूसरे मंत्रालयों और विभागों को सौंप दिया गया हो ।

2. सभी सरकारी सिविल संकर्म और भवन, जिनके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के संकर्म और भवन भी हैं, किन्तु सड़कें और रेल मंत्रालय, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग द्वारा निष्पादित संकर्म या उनके भवन नहीं है ।

3. उद्यान कृषि संक्रियाएं ।

4. केन्द्रीय लोक निर्माण संगठन ।

5. इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी होस्टलों सहित सरकारी सम्पदाओं का प्रशासन । महानगरों में कार्यालयों का अवस्थापन या वहां से उनको भंग करना ।

6. विज्ञान भवन में स्थान का आबंटन ।

7. चार पुनर्वास बाजारों, अर्थात् सरोजिनी नगर मार्केट, शंकर मार्केट, प्लेजर गार्डन मार्केट और कमला मार्केट का प्रशासन ।

8. विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) के अधीन दिल्ली और नई दिल्ली में सरकार निर्मित सम्पत्तियों की बाबत पट्टा या हस्तांतरण विलेख जारी करना और पट्टा विलेखों का संपरिवर्तन करना तथा ऐसी सम्पत्तियों से लगी हुई भूमि की अतिरिक्त पट्टियों और सुधारक क्षेत्रों का आबंटन ।

9. भारत सरकार के लिए लेखन सामग्री और मुद्रण, जिसके अंतर्गत शासकीय प्रकाशन भी है ।

10. रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड को आबंटित कार्य-मदों के अधीन रहते हुए रेल आधारित प्रणालियों की तकनीकी योजना सहित शहरी परिवहन प्रणालियों की योजना और समन्वय ।

11. भारतीय रेल द्वारा निधिबद्ध प्रणालियों को छोड़कर, रेल आधारित शहरी परिवहन प्रणालियों के लिए अधिकतम और न्यूनतम दरों तथा भाड़ों का नियतन ।

12. नगर निगम सीमाओं अथवा किसी अन्य संलग्न क्षेत्र के भीतर ट्रामवे, जिसमें उन्नत द्रुतगामी ट्राम भी शामिल है ।

13. नगर और ग्राम योजना; महानगरीय क्षेत्रों के विकास और योजना से संबंधित मामले, इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता ।

14. दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास और व्ययन की स्कीम ।

15. दिल्ली विकास प्राधिकरण ।

16. दिल्ली का मास्टर प्लान, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में मास्टर प्लान तथा गन्दी बस्ती सफाई विषयक काम का समन्वय ।

17. स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में स्मारकों का परिनिर्माण ।

18. सरकारी बस्तियों का विकास ।

19. स्थानीय शासन, अर्थात् नगर निगमों का (दिल्ली नगर निगम को छोड़कर) , नगर पालिकाओं का (नई दिल्ली नगर पालिका समिति को छोड़कर) और अन्य स्थानीय स्वायत्त प्रशासनों का, पंचायती राज संस्थाओं को छोड़कर, गठन और उनकी शक्तियां ।

20. दिल्ली नगर निगम का दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन उपक्रम ।

21. शहरी क्षेत्रों से संबंधित (जल संसाधन मंत्रालय को सौंपे गए जल योजना और समन्वय के सम्पूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अधीन रहते हुए) जल प्रदाय, मलव्ययन, जल-निकास तथा स्वच्छता और आबंटित जल संसाधनों से जुड़ाव । इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता ।

22. केन्द्रीय स्वायत्त-शासन परिषद् ।

23. दिल्ली में सरकारी भूमि का आबंटन ।

24. राजघाट समाधि समिति का प्रशासन ।

25. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना और विकास तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) के प्रशासन से संबंधित सभी विषय ।

26. भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास (इनटैक) से संबंधित विषय ।

27. शहरी अवसंरचना की बाबत आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) से संबंधित सभी मामले।

28. स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30) का प्रशासन ।

29. दिल्ली होटल (वास-सुविधा-नियंत्रण) अधिनियम, 1949 (1949 का 24) का प्रशासन ।

30. लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) ।

31. दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) का प्रशासन ।

32. दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (1958 का 59) ।

33. नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) ।

34. दिल्ली नागरी कला आयोग, दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 (1973 का 1) ।

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय

1. आवास नीति और कार्यक्रम तैयार करना (ग्रामीण आवास को छोड़कर, जिसे ग्रामीण विकास, गरीबी उपशमन और ग्रामीण रोजगार विभाग को सौंपा गया है), योजना स्कीमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन, आवास, निर्माण सामग्री और निर्माण तकनीक संबंधी आंकड़ों का संग्रहण और प्रसारण, निर्माण लागत घटाने के लिए साधारण उपाय और राष्ट्रीय आवास नीति का केन्द्रीय उत्तरदायित्व ।

2. मानव बस्तियां, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती आयोग तथा आवासन और मानव-बस्ती के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता भी है ।

3. शहरी विकास, जिसके अंतर्गत गंदी बस्ती सफाई स्कीमें तथा झुग्गी-झोंपड़ी हटाने की स्कीमें भी है। इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता ।

4. राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ ।

5. शहरी रोजगार और शहरी गरीबी उपशमन संबंधी विशिष्ट कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, जिसके अंतर्गत समय-समय पर बनाए गए अन्य कार्यक्रम भी है ।

6. नगर संरचना से संबंधित मामलों से भिन्न, आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) से संबंधित सभी मामले ।";

(ङ) "उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग" शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा ।"।

आ.प.जै. अब्दुल कलाम
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/2004-कैब.]

के. एल. शर्मा, उप सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2004

S.O. 636(E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and seventy - third Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-

(1) in the First Schedule,-

(a) after heading "7. Ministry of Communications and Information Technology (Sanchar aur Soochana Praudyogiki Mantralaya)" and sub-headings relating thereto, the following heading shall be inserted, namely:-

"7A. Ministry of Company Affairs (Kampany Karya Mantralaya)";

(b) after heading "8. Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Upbhokta Mamle, Khadya aur Sarvajanik Vitaran Mantralaya)", and sub-headings relating thereto, the following heading shall be inserted, namely:-

"8A. Ministry of Culture (Sanskriti Mantralaya)";

(c) after the heading "9. Ministry of Defence (Raksha Mantralaya)", and sub-headings relating thereto, the following heading shall be inserted, namely:-

"9A. Ministry of Development of North Eastern Region (Uttar Poorvi Kshetra Vikas Mantralaya)";

(d) the heading "10. Ministry of Disinvestment (Vinivesh Mantralaya)" shall be deleted;

(e) under the heading "13. Ministry of Finance (Vitta Mantralaya)", for the sub heading "(iv) Department of Company Affairs (Kampany Karya Vibhag)", the following sub-heading shall be substituted, namely:-

"(iv) Department of Disinvestment (Vinivesh Vibhag)";

(f) for the heading "20. Ministry of Labour (Shram Mantralaya)", the following heading shall be substituted, namely:-

"20. Ministry of Labour and Employment (Shram aur Rozgar Mantralaya)"

(g) after the heading "22. Ministry of Non-Conventional Energy Sources (Aparamparik Oorja Srota Mantralaya)", the following headings shall be added, namely:-

"22A. Ministry of Non Resident Indians Affairs (Anivasi Bhartiya Karya Mantralaya)

22B. Ministry of Panchayati Raj (Panchayati Raj Mantralaya)";

(h) for the heading "38. Ministry of Tourism and Culture (Paryatan aur Sanskriti Mantralaya)" and the sub-headings relating thereto, the following heading shall be substituted, namely:-

"38. Ministry of Tourism (Paryatan Mantralaya)";

(i) for the heading "40. Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation (Shahari Vikas aur Garibi Upshaman Mantralaya) " and the sub-headings relating thereto, the following headings shall be substituted, namely :-

"40. Ministry of Urban Development (Shahari Vikas Mantralaya)

40A. Ministry of Urban Employment and Poverty Alleviation (Shahari Rozgar aur Garibi Upshaman Mantralaya)";

(j) the heading "50. Department of Development of North Eastern Region (Uttar Poorvi Kshetra Vikas Vibhag)" shall be deleted.;

(2) in the Second Schedule,-

(A) after the heading "MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SANCHAR AUR SOOCHANA PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)", and sub-headings and entries relating thereto, the following heading and entries, shall be inserted, namely:-

"MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS
(KAMPANI KARYA MANTRALAYA)

1. Administration of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

2. Administration of the Companies (Donations of National Funds) Act, 1951 (54 of 1951).

3. Administration of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969).

4. Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission.

5. Profession of Accountancy [The Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949)]; Profession of Costs and Works Accountancy [The Cost and Works Accountants Act, 1959(23 of 1959)]; Profession of Company Secretaries [The Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980)].

6. Collection of Statistics relating to Companies.

7. Legislation relating to law of Partnership and the exercise of certain functions under Chapter VII of the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) in centrally administrated areas. (The administration of the Act vests in the State Governments).

8. The responsibility of the Centre relating to matters concerning centrally administered areas in respect of any of the above items.

9. Legislation in relation to societies registration and exercise of functions under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) in centrally administered areas.

10. Competition Commission of India.

11. The Competition Act, 2000 (12 of 2003).

12. Serious Frauds Investigation Office.";

(B) after the heading "MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (UPBHOKTA MAMLE, KHADYA AUR SARVAJANIK VITARAN MANTRALAYA)" and sub-headings and entries relating thereto, the following heading and entries, shall be inserted, namely:-

"MINISTRY OF CULTURE
(SANSKRITI MANTRALAYA)

1. Policy matters regarding Library development.

2. National Library, Kolkata; Central Reference Library, Kolkata; Central Secretariat Library, New Delhi; Rampur Raza Library, Rampur; Delhi Public Library, New Delhi; Khudabaksh Oriental Public Library, Patna; Raja Rammohan Roy Library Foundation, Kolkata; India Office Library, London.

3. National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow.

4. National Mission for Preservation of Manuscripts.

5. Archaeological Survey of India, New Delhi; Archaeological Site Museums; Excavation and exploration of historical and archaeological remains.

6. Grants of Universities and Research Institutions for excavation and exploration of historical and archaeological remains.

7. International Conventions for the protection of cultural property in the event of armed conflict.

8. History of Freedom Movement.

1673 GI/2004—3

9. Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi; Nehru Memorial Museum & Library, New Delhi; Jallianwala Bagh National Memorial Trust; Maulana Abul Kalam Azad Institute for Asian Studies, Kolkata; Indian War Memorial.

10. Promotion of Fine Arts and Performing Arts.

11. Sahitya Akademi; Lalit Kala Akademi; Sangeet Natak Akademi.

12. National Museum, New Delhi; Indian Museum, Kolkata, Salar Jung Museum, Hyderabad; Allahabad Museum, Allahabad; National Gallery of Modern Art, New Delhi, Mumbai and Bangalore; Victoria Memorial Hall, Kolkata; Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal; National Council of Science Museum, Kolkata; Museum of Gems and Jewellery; General Development of Museums.

13. National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, New Delhi.

14. Acquisition of Indian and Foreign Art objects.

15. Open air theatres in rural areas and theatres in State capitals.

16. Financial assistance to authors and artists or their survivors in indigent circumstances, other than those belonging to the categories covered under the scheme of Ministry of Information and Broadcasting; Grants to cultural organizations and institutions; Scholarships and Fellowships including those offered by foreign governments and foreign agencies, in respect of subjects dealt with by this Department; Grants for setting up Multipurpose Cultural Complex.

17. Charities and Charitable institutions, Charities and Religious Endowments pertaining to subjects dealt within this Department.

18. Scholarships, including those offered by foreign Government and foreign agencies, in respect of subjects dealt with by this Department.

19. Publication of rare manuscripts.

20. Safeguarding of Traditional Culture and Folklore.

21. Grants to Indo-foreign Cultural Societies.

22. Cultural Agreements, Cultural Exchange Programmes (CEP) and Friendship Treaties with foreign countries.

23. Distribution of gift books received from abroad.

24. Appointment of Cultural Attaches abroad.

25. Visit of Cultural Delegations, etc. to India, sponsored and unsponsored.

26. Individuals (including cultural lecturers) sponsored by Government for visits abroad.

27. Presentation of books to foreign countries.

28. Establishment of libraries abroad.

29. Translation of Indian classics into foreign languages.

30. Exchange of official publications with foreign Governments and institutions and agreements for such exchanges.

31. Presentation of Indian art objects abroad.

32. Export of antiquities.

33. Admission of Foreign students in Cultural Institutions.

34. Exchange of artists, dancers, musicians, etc. under the Cultural Exchange Programmes.

35. Festivals of India abroad.

36. Revision of Gazetters.

37. Observance of Centenaries and Anniversaries of important personalities and events.

38. Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi.

39. International Congress of Orientalists.

40. Anthropological Survey of India, Kolkata.

41. National Archives of India, New Delhi; Gazeteers; Asiatic Society, Kolkata.

42. Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya.

43. Rabindra Rangshalla.

44. Zonal Cultural Centres.

45. National Council of Culture.

46. Indira Gandhi National Centre for Arts, New Delhi.

47. National School of Drama, New Delhi; National Theatre.

48. National Culture Fund.

49. Gandhi Peace Prize.

50. Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath; Central Institute of Buddhist Studies, Leh; Nav Nalanda Mahavidyalaya, Nalanda.

51. Kalakshetra Foundation, Chennai.

52. Implementation and enforcement of the following Acts, namely:-

(a) The Indian Treasure Trove Act, 1878 (6 of 1878);

(b) The Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972);

(c) The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

(d) The Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (7 of 1904);

(e) The Delivery of Books and Newspapers (Public Libraries) Act, 1954 (27 of 1954);

(f) Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867) (in so far as supply of books and catalogues to Central Government is concerned);

(g) The Public Record Act, 1993 (69 of 1993).";

(C) after the heading "MINISTRY OF DEFENCE (RAKSHA MANTRALAYA)" and the sub-headings and entries relating thereto, the following heading and entries shall be substituted, namely:-

"MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION
(UTTAR POORVI KSHETRA VIKAS MANTRALAYA)

1. Matters relating to the planning, execution and monitoring of developmental schemes and projects of North Eastern Region including those in the sectors of Power, Irrigation, Roads and Communications.

2. Hill Area Development Programme and Border Areas Development Programme in North Eastern Region.

3. Non-lapsable Fund for the North Eastern Region.

4. North Eastern Council.

5. North East Development Finance Institution (NEDFI).

6. North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited (NERAMAC).

7. The Sikkim Mining Corporation Limited.

8. North Eastern Handloom and Handicrafts Development Corporation (NEHHDC), Shillong.

9. Road works financed in whole or in part by the Central Government in the North Eastern Region.

10. Planning of Road and Inland Waterways Transport in the North Eastern Region.";

(D) the heading "MINISTRY OF DISINVESTMENT (VINIVESH MANTRALAYA)" and entries relating thereto, shall be deleted;

(E) under the heading "MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (VIDESH MANTRALAYA)", the entry at 40 shall be deleted.

(F) under the heading MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)", for the sub-heading "D. DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS (KAMPANI KARYA VIBHAG)" and entries relating thereto, the following sub-heading and entries, shall be substituted, namely:-

"DEPARTMENT OF DISINVESTMENT (VINIVESH VIBHAG)

1. All matters relating to disinvestment of Central Government equity from Central Public Sector Undertakings.

2. Decisions on the recommendations of the Disinvestment Commission on the modalities of disinvestment, including restructuring.

3. Implementation of disinvestment decisions, including appointment of advisers, pricing of shares, and other terms and conditions of disinvestment.

4. Disinvestment Commission.

5. Central Public Sector Undertakings for purposes of disinvestment of Government equity only.";

(G) for the heading "MINISTRY OF LABOUR (SHRAM MANTRALAYA)", the following heading shall be substituted, namely:-

"MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRAM AUR ROZGAR MANTRALAYA)",

(H) after the heading "MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (APARAMPARIK OORJA SROTA MANTRALAYA)" and entries relating thereto, the following headings and entries relating thereto shall be added, namely:-

"MINISTRY OF NON RESIDENT INDIANS AFFAIRS (ANIVASI BHARTIYA KARYA MANTRALAYA)

1. Relations with Overseas Indians excluding entries specifically allotted to other departments.

"MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ (PANCHAYATI RAJ MANTRALAYA)

1. All matters relating to panchayati raj and panchayati raj institutions.";

(I) under the heading "MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS VIBHAG)", the entry 1 shall be deleted.".

(J) for the heading "MINISTRY OF TOURISM AND CULTURE (PARYATAN AUR SANSKRITI MANTRALAYA)" and the sub-headings and entries relating thereto, the following heading and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

"MINISTRY OF TOURISM (PARYATAN MANTRALAYA)

1. Development and Promotion of Tourism.

2. International Cooperation in the field of Tourism.

3. India Tourism Development Corporation and Autonomous Institutes.";

(K) for the heading "MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION (SHAHARI VIKAS AUR GARIBI UPSHAMAN MANTRALAYA) " and sub-headings and entries relating thereto, the following headings and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

"MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHAHARI VIKAS MANTRALAYA)

1. Properties of the Union, whether lands or buildings, with the following exceptions, namely:-

(a) those belonging to the Ministry of Defence, the Ministry of Railways and the Department of Atomic Energy and the Department of Space;

(b) buildings or lands, the construction or acquisition of which has been financed otherwise than from the Civil Works Budget;

(c) buildings or lands, the control of which has at the time of construction or acquisition or subsequently been permanently made over to other Ministries and Departments.

2. All Government Civil Works and Buildings including those of Union territories excluding Roads and excluding works executed by or buildings belonging to the Ministry of Railways, Department of Posts, Department of Telecommunications, Department of Atomic Energy and the Department of Space.

3. Horticulture operations.

4. Central Public Works Organisation.

5. Administration of Government estates including Government Hostels under the control of the Ministry. Location or dispersal of offices in or from the metropolitan cities.

6. Allotment of accommodation in Vigyan Bhawan.

7. Administration of four Rehabilitation Markets viz. Sarojini Nagar Market, Shankar Market, Pleasure Garden Market and Kamla Market.

8. Issue of lease or conveyance deeds in respect of Government built properties in Delhi and New Delhi under the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) and conversion of lease deeds, allotment of additional strips of land and correctional areas adjoining such properties.

9. Stationery and Printing for the Government of India including official publications.

10. Planning and coordination of urban transport systems with technical planning of rail based systems being subject to the items of work allocated to the Ministry of Railways, Railway Board.

11. Fixing of maximum and minimum rates and fares for rail-based urban transport systems other than those funded by the Indian Railways.

12. Tramways including elevated high speed trams within municipal limits or any other contiguous zone.

13. Town and Country Planning; matters relating to the Planning and Development of Metropolitan Areas, International Cooperation and technical assistance in this field.

14. Schemes of large scale acquisition, development and disposal of land in Delhi.

15. Delhi Development Authority.

16. Master Plan of Delhi, Coordination of work in respect of the Master Plan and Slum Clearance in the National Capital Territory of Delhi.

17. Erection of memorials in honour of freedom fighters.

18. Development of Government Colonies.

19. Local Government, that is to say, the constitution and powers of the Municipal Corporations (excluding the Municipal Corporation of Delhi), Municipalities (excluding the New Delhi Municipal Committee), other Local Self-Government Administrations excluding Panchayati Raj Institutions.

20. The Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking of the Municipal Corporation of Delhi.

21. Water supply (subject to overall national perspective of water planning and coordination assigned to the Ministry of Water Resources), sewage, drainage and sanitation relating to urban areas and linkages from allocated water resources. International cooperation and technical assistance in this field.

22. The Central Council of Local Self-Government.

23. Allotment of Government land in Delhi.

24. Administration of Rajghat Samadhi Committee.

25. All matters relating to Planning and Development of the National Capital Region and administration of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985).

1673 GI2004—5

26. Matters relating to the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH).

27. Matters of the Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) relating to urban infrastructure.

28. Administration of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952).

29. Administration of Delhi Hotels (Control of Accommodation) Act, 1949 (24 of 1949).

30. The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971).

31. Administration of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957).

32. The Delhi Rent Control Act, 1958 (59 of 1958).

33. The Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976).

34. Delhi Urban Art Commission, the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1973).

MINISTRY OF URBAN EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATION
(SHAHARI ROZGAR AUR GARIBI UPSHAMAN MANTRALAYA)

1. Formulation of housing policy and programme (except rural housing which is assigned to the Department of Rural Development), review of the implementation of the Plan Schemes, collection and dissemination of data on housing, building materials and techniques, general measures for reduction of building costs and nodal responsibility for National Housing Policy.

2. Human Settlements including the United Nations Commission for Human Settlements and International Corporation and Technical Assistance in the field of Housing and Human Settlements.

3. Urban Development including Slum Clearance Schemes and the Jhuggi and Jhonpri Removal Schemes. International Cooperation and technical assistance in this field.

4. National Cooperative Housing Federation.

5. Implementation of the specific programmes of Urban Employment and Urban Poverty Alleviation including other programmes evolved from time to time.

6. All matters relating to the Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) other than those relating to urban infrastructure.";

(L) the heading "DEPARTMENT OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (UTTAR POORVI KSHETRA VIKAS VIBHAG)" and entries relating thereto shall be deleted.".

A.P.J. Abdul Kalam
President

[F. No. 1/22/1/2004-Cab.]
K.L. SHARMA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.